

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक प.4(1) राजकॉम्प/न्याय /2021

जयपुर, दिनांक :-

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

समस्त जिला कलक्टर
(जिला नोडल अधिकारी लाईट्स)

महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

विषय:- लाईट्स वेबसाइट के नवीन संस्करण 3.0 के अनुकूलतम उपयोग के संबंध में।

महोदय/महोदया,

न्याय विभाग के लाईट्स सॉफ्टवेयर का नवीन संस्करण दिनांक 10.11.2025 अस्तित्व में आ चुका है।

नए संस्करण में प्रमुख नवीन व्यवस्थाएँ निम्नानुसार हैं :-

1. प्रकरण प्रभारी अधिकारी (OIC) की इन्द्राज SSO ID के माध्यम से किया जाना अनिवार्य किया गया है।
2. उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, जयपुर एवं अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों के इन्द्राज के समय Case Register Number (CNR) अनिवार्य किया गया है।
3. OIC नियुक्ति की सूचना, जवाब फाइल करने से शेष, अपील करने से शेष एवं अन्य जानकारियाँ स्वचालित रूप से SMS एवं Email के माध्यम से भेजे जाने की व्यवस्था लागू की गई है।
4. लाईट्स सॉफ्टवेयर 3.0 में डेटा इन्द्राज के प्रारूपों का सरलीकरण किया गया है।
5. उच्च न्यायालय जोधपुर, जयपुर में नए इन्द्राज होने वाले प्रकरणों (जिनमें राज्य सरकार पक्षकार है) को API के माध्यम से विभाग अनुसार LITES सॉफ्टवेयर 3.0 प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है।
6. उच्च न्यायालय जोधपुर, जयपुर की Cause List को API के माध्यम से LITES सॉफ्टवेयर 3.0 में प्रदर्शित करने की सुविधा भी जोड़ी गई है।

अतः आपसे अनुरोध है की LITES सॉफ्टवेयर में उक्त सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

संयुक्त शासन सचिव

